यह निरीक्षण प्रतिवेदन **कार्यालय जिला युवा कल्याण एवं प्रान्तीय रक्षक दल अधिकारी, बागेश्वर** द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचना के आधार पर तैयार किया गया है। कार्यालयाध्यक्ष द्वारा उपलब्ध करायी गयी किसी त्रुटिपूर्ण अथवा अधूरी सूचना के लिए कार्यालय महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखण्ड, देहरादून की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी।

कार्यालय जिला युवा कल्याण एवं प्रान्तीय रक्षक दल अधिकारी, बागेश्वर के माह अक्टूबर 2015 से अक्टूबर 2017 के लेखा-अभिलेखों की लेखापरीक्षा पर आधारित निरीक्षण प्रतिवेदन श्री अजय कुमार सचान, सहायक लेखापरीक्षा अधिकारी द्वारा दिनांक 20.11.2017 से 23.11.2017 तक श्री महेन्द्र तिवारी वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी के पर्यवेक्षण में सम्पादित किया गया।

भाग-I

1). परिचयात्मकः इस इकाई की विगत लेखापरीक्षा श्री शरत श्रीवास्तव एवं श्री कुलदीप कुमार, सहायक लेखापरीक्षा अधिकारीगण द्वारा दिनांक 26.10.2015 से 06.11.2015 तक सम्पादित की गयी थी। जिसमें माह 05/2013 से 09/2015 तक के लेखा अभिलेखों की जांच की गयी थी। वर्तमान लेखापरीक्षा में माह अक्टूबर 2015 से अक्टूबर 2017 तक के लेखा अभिलेखों की जांच की गयी।

2). (i) **इकाई के क्रियाकलाप एवं भौगोलिक अधिकार क्षेत्रः** जिला युवा कल्याण एवं प्रान्तीय रक्षक दल विभाग द्वारा प्रान्तीय रक्षक दल स्वयं सेवकों की भर्ती, सुढडीकरण, युवा महोत्व का आयोजन, ग्रामीण क्षेत्रों से संबंधित खेल विधा प्रतियोगिता, विकास खण्ड स्तर पर व्यावसायिक प्रशिक्षण, युवा/महिला मंगल का गठन, पंजीकरण एवं मार्गदर्शन, सर्वश्रेष्ठ युवा/महिला मंगल दलों का विवेकानंद यूथ एवार्ड के अंतर्गत प्रोत्साहित किया जाना, खेल मैदान का विकास एवं स्वयं सेवकों को विभिन्न विभागों में कार्य निस्पादन हेतु ड्यूटी लगायी जाती है। कार्यालय का भौगोलिक अधिकार क्षेत्र समस्त बागेश्वर जनपद है।

(अ) **विगत तीन वर्षों में बजट आबंटन एवं व्यय की स्थिति निम्नवत हैः**

(धनराशि ₹ लाख में)

वर्ष	प्रारम्भिक अवशेष		स्थापना		गैर स्थापना		आधिक्य (+)	बचत (-)
	स्थापना	गैर स्थापना	आवंटन	व्यय	आवंटन	व्यय		
2014-15	-	-	41.74	41.74	213.04	213.04	-	-
2015-16	-	-	41.46	41.46	381.77	381.77	-	-
2016-17	-	-	41.76	41.76	224.82	224.82	-	-
2017-18	-	-	47.05	21.65	166.70	116.49	-	75.61

(स) केन्द्र पुरोनिधानित योजनाओं के अन्तर्गत प्राप्त निधि एवं व्यय विवरण निम्नवत हैः

(रू. लाख में)

वर्ष	योजना का नाम	प्रारम्भिक अवशेष	प्राप्त	व्यय अधिक्य (+)	बचत (-)
----------शून्य----------					

(ii) इकाई को बजट आवंटन उत्तराखण्ड सरकार द्वारा किया जाता है। गैर स्थापना व्यय को सम्मिलित न करते हुए इकाई ग्राहक विभाग से राशि प्राप्त करता है तथा 'C' श्रेणी की है।

विभाग का संगठनात्मक ढांचा निम्नवत हैः-

1. सचिव 2. अपर सचिव 3. निदेशक 4. वित्त निदेशक 5. संयुक्त निदेशक 6. उप निदेशक 7. सहायक निदेशक 8. सहायक समादेष्टा 9. सहायक लेखाधिकारी 10. मुख्य/वरिष्ठ प्रशासनिक/प्रशासनिक/अधिकारी

2. जनपद स्तर

1. जिला युवा कल्याण एवं प्रा.र.द. अधिकारी 2. व्यायाम प्रशिक्षक 3. वरिष्ठ सहायक/कनिष्ठ सहायक

3. विकास खण्ड स्तर-

1. क्षेत्रीय युवा कल्याण एवं प्रा.र.दल अधिकारी

(iii) **लेखापरीक्षा का कार्यक्षेत्र एवं लेखापरीक्षा विधिः** लेखापरीक्षा में **कार्यालय जिला युवा कल्याण एवं प्रान्तीय रक्षक दल अधिकारी, बागेश्वर** को आच्छादित किया गया। समस्त स्वाधीन आहरण वितरण अधिकारियों के निरीक्षण प्रतिवेदन पृथक-पृथक जारी किये जा रहे है। यह निरीक्षण **कार्यालय जिला युवा कल्याण एवं प्रान्तीय रक्षक दल अधिकारी, बागेश्वर** की लेखापरीक्षा में पाये गये निष्कर्षों पर आधारित है। माह जून 2016 एवं सितम्बर 2017 विस्तृत जांच हेतु चयनित किया गया।

(iv) लेखापरीक्षा भारत के संविधान के अनुच्छेद 149 के अधीन बनाये गये नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के (कर्तव्य, शक्तियां तथा सेवा की शर्ते) अधिनियम, 1971 (डी पी सी एक्ट, 1971) की धारा ..... लेखा तथा लेखापरीक्षा विनियम, 2007 तथा लेखापरीक्षण मानकों के अनुसार सम्पादित की गयी।

<u>भाग-दो(ब)</u>

प्रस्तर-1- रु. 63.02 लाख के व्यय अभिलेखों को उपलब्ध न कराना।

नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक (कर्तव्य, शक्तियां एवं शर्ते) अधिनियम 1971 की धारा 18 के अंतर्गत कार्यालयाध्यक्ष/विभागाध्यक्ष का यह कर्तव्य होगा कि लेखापरीक्षा दल के जांच हेतु अथवा मांगे गये अभिलेख को यथासम्भव शीघ्रता से उपलब्ध करायें। आवश्यक अभिलेखों की जांच हेतु प्रस्तुत करने में अथवा स्पष्टीकरण का प्रत्युत्तर प्रस्तुत करने में विफलता का तात्पर्य होगा, सरकारी अधिकारी को उसके कर्तव्य पालन में रोकना। जिसके लिये भारतीय दण्ड संहिता की धारा 175-186 के अंतर्गत कार्यवाही की जानी अपेक्षित होती है।

लेखा अभिलेखों की जांच में पाया गया कि माह जून 2016 एवं सितम्बर 2017 में स्पेशल कम्पोनेन्ट प्लान (SCP) मद से रु. 53.64 लाख एवं ट्राइवल सब प्लान (TSP) मद से रु. 4.16 लाख से स्वयंसेवकों को मानदेय का भुगतान किया गया। उक्त मदों से मात्र अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जन जाति वर्ग के स्वयंसेवकों को ही भुगतान किया जा सकता है। इसी प्रकार निदेशक युवा कल्याण एवं प्रान्तीय रक्षक दल, उत्तराखण्ड, देहरादून के पत्र सं. 1664/दो-2817/बजट-लेखा/2015-16 दिनांक 17.12.2015 द्वारा कार्यालय को रु. 5,22,375/- की धनराशि ओपन ग्रामीण खेलकूद प्रतियोगिताओं हेतु उपलब्ध करायी गयी थी।

उक्त धनराशियों के उचित एवं मदवार व्यय की जांच हेतु लेखापरीक्षा को संबंधित अभिलेख उपलब्ध नहीं कराये गये। लेखापरीक्षा द्वारा अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के पुरुष स्वयंसेवकों की वर्गवार सूची एवं ओपन ग्रामीण खेलकूद प्रतियोगिताओं पर व्यय संबंधी अभिलेख मांगे जाने पर इकाई ने उत्तर दिया कि अभिलेख उपलब्ध नहीं है।

अतः विभाग द्वारा रु. 63.02 लाख के व्यय के सत्यापन संबंधी अभिलेख लेखापरीक्षा को उपलब्ध नहीं कराने का प्रकरण उच्चाधिकारियों के संज्ञान में लाया जाता है।

भाग-दो(ब)

प्रस्तर-2- शासनादेश का उल्लंघन कर रु. 34.04 लाख धनराशि का अवरोधन।

उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश सं. 99/XXVII(14)/2009 दिनांकित 03.09.2009 के द्वारा सभी विभागों को यह स्पष्ट आदेश दिया गया था कि सरकारी विभागों के कार्यों हेतु बैंक में खाता खोलने का कोई प्रावधान नहीं है जब तक कि शासन के वित्त विभाग द्वारा विशेष कार्य हेतु अनुमति प्रदान न की गई हो। यदि कोई अनधिकृत बैंक खाता खोला गया हो तो उसे तत्काल बन्द किया जाये एवं खाते में अवशेष धनराशि विभागीय पी.एल.ए. में तथा इस पर अर्जित ब्याज को सुसंगत लेखाशीर्ष में तत्काल जमा कर दिया जाये।

पुनः निदेशालय युवा कल्याण एवं प्रान्तीय रक्षक दल, उत्तराखण्ड देहरादून द्वारा पत्र सं.- 1079/ऑडिट-पायका/2016-17 दिनांक 23.09.2017 द्वारा पूर्व के इसी संबंध में आदेशों का हवाला देकर यह निर्देश दिया गया कि पायका योजना के सभी खाते बन्द कर अवशेष धनराशि को देहरादून के संबंधित खाते में जमा कर दिया जाये।

लेखा अभिलेखों की जांच में पाया गया कि कार्यालय द्वारा दो बैंक खाते संचालित किये जा रहे है। जिनका विवरण निम्नानुसार है।

क्र.सं.	**बैंक का नाम**	**खाता सं.**	**अवशेष धनराशि**
1.	अल्मोड़ा जिला सहकारी बैंक लि.	001134029100006	रु. 22.44 लाख
2.	यूनियन बैंक ऑफ इंडिया	598202010000683	रु. 11.60 लाख
कुल योग			**रु. 34.04 लख**

उपरोक्त विवरण से स्पष्ट है कि इकाई के दो बैंक खातों में योजनाओं एवं ब्याज की कुल रु. 3.4.04 लाख की धनराशि अवरूद्ध है जिससे शासनादेशों एवं बार-2 निदेशालय के आदेशों के बावजूद सुसंगत खातों में जमा नहीं किया गया एवं खातों को बन्द नहीं किया गया।

लेखापरीक्षा द्वारा इस संबंध में पूछे जाने पर इकाई ने कोई स्पष्ट उत्तर नहीं दिया। इकाई के उत्तर से स्पष्ट है कि यह मात्र औपचारिकता निभाने के लिये है। इकाई यह भी स्पष्ट करने में असफल रही कि खातों में कितनी धनराशि किस मद की है। जिससे स्पष्ट है कि इकाई के पास धनराशि को कोई हिसाब नहीं है और न ही वह खाते बन्द कर उक्त धनराशि को समर्पित करने की इच्छुक है।

अतः बार-2 दिये गये शासनादेशों का उल्लंघन कर रु. 34.04 लाख धनराशि के अवरोधन एवं शासनदेशों के अनुपालन न किये जाने का प्रकरण उच्चाधिकारियों के संज्ञान में लाया जाता है।

<u>भाग-दो(ब)</u>

प्रस्तर-3-बिना एमओयू एवं भूमि की उपलब्धता सुनिश्चित होने के कारण रु. 15.00 लाख के कार्य अपूर्ण।

शासनादेश संख्या 475/XXVII(7)/2008 दिनांक 15.12.2008 के अनुसार," कार्यदायी संस्था के साथ प्रत्येक निर्माण कार्य को आवंटित करते समय एमओयू हस्ताक्षरित किया जाना सुनिश्चित किया जाए। विभागान्तर्गत माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा की गयी घोषणाओं के क्रियान्वयन में विभाग द्वारा कराये जा रहे निर्माण कार्यों (सूची संलग्न) की कार्यदायी संस्था ग्रामीण निर्माण विभाग बागेश्वर द्वारा प्रेषित अक्टूबर 2017 की मासिक प्रगति आख्या के अनुसार रु. 30.00 की लागत से दस निर्माण कार्य कराये जा रहे थे, में दो कार्य अद्यतन विवादग्रस्त पाये गए एवं शेष आठ कार्यों में प्रगति दर्शाई गयी।

क्र.सं.	घोषणा सं.	कार्य का नाम	कार्यवाही/ प्रगति का विवरण	वित्तीय स्वीकृति	धनराशि (रु. लाख में)	वित्तीय प्रगति	भौतिक प्रगति (प्रतिशत)
1.	2376/2015	डोबा में मिनी स्टेडियम का निर्माण	प्रगतिरत	536/25.11.16	3.00	1.50	75%
2.	2374/2015	वि.ख. गरुड में ओडिटोरियम एवं इंडोर स्टेडियम का निर्माण	विवाद	536/25.11.16	3.00	0.00	0%
3.	853/2014	खुनौली के पल्सों गाँव में मिनी स्टेडियम का निर्माण	विवाद	1003/15-44 14.03.16	3.00	1.00	40%
4.	2387/2015	जूनायल में खेल मैदान का निर्माण	प्रगतिरत	95/15-09-16	3.00	0.50	20%
5.	419/2016	शामा में खेल मैदान का निर्माण	प्रगतिरत	184/30-03-17	3.00	0.00	15%

लेखापरीक्षा द्वारा उक्त कार्यों की प्रगति एवं एमओयू के संबंध में पूछे जाने पर विभाग द्वारा पाँच कार्यों (6-10) के एमओयू प्रस्तुत किए गए, भूमि की उपलब्धता के संबंध में पूछे जाने पर अवगत कराये कि माननीय मुख्यमंत्री जी कि घोषणा के आधार पर कार्य प्रारम्भ किए गए। विभाग का उत्तर मान्य नहीं है क्योंकि विभाग द्वारा कार्यदायी संस्था के साथ 2016-17 में स्वीकृत कार्यों में ही एमओयू किया गया इससे पूर्व के कार्यों पर कोई एमओयू नहीं किया गया जो कि शासनादेश संख्या 475 दिनांक 15.12.2008 की स्पष्ट अवहेलना थी साथ ही भूमि उपलब्ध करना विभाग का उत्तरदायित्व था।

इस प्रकार बिना एमयूओ एवं भूमि की उपलब्धता सुनिश्चित किए बगैर निर्माण कार्य कारणों का प्रकरण संज्ञान में लाया जाता है।

STAN

प्रस्तर:1- पायका योंजनांतरगत ₹ 9.00 लाख के व्यय से निर्मित खेल मैदानों के निष्क्रिय होने से निष्फल व्यय।

भारत सरकार के युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्रालय द्वारा देश कि 75% आबादी जो कि मुख्यतः ग्रामीण क्षेत्रों में रहती है, प्रारम्भिक खेल सुविधाओं को उपलब्ध करने हेतु राष्ट्रीय युवा नीति-2001 के अंतर्गत आधारभूत सुविधाओं पर खेल गतिविधियों को बढ़ाने हेतु " पंचायत युवा क्रीडा और खेल अभियान (पायका) प्रारम्भ किया गया। उक्त योजनांतर्गत प्रत्येक ग्राम पंचायत स्तर पर छोटे खेल मैदान ₹1.00 लाख की लागत एवं क्षेत्र पंचायत स्तर पर ₹5.00 लाख की लागत से तैयार कराये जाने थे।

जनपद बागेश्वर में योजनांतरगत वर्ष 2008-09 से वर्ष 2012-13 तक ₹2.02 करोड़ कि लागत से 202 छोटे मैदान पंचायत स्तर पर निर्मित कराये गए। जांच में पाया गया कि दिनांक 25-07-2017 की पायका मैदानों कि स्थितिवार आख्या के अनुसार 9 छोटे मैदानों की वर्तमान स्थिति पूर्ण क्षतिग्रस्त थी, जबकि विभाग द्वारा इन मैदानों को सक्रिय दर्शाया गया था।

लेखा परीक्षा द्वारा इस संबंध में पूछे जाने पर इकाई द्वारा अवगत कराया गया कि टंकण कि त्रुटि से ऐसा हो गया उक्त मैदान क्षतिग्रस्त एवं निष्क्रिय हैं। इकाई का उत्तर मान्य नहीं है क्योंकि इकाई द्वारा इस संबंध में उच्चाधिकारियों को त्रुटिपूर्ण एवं भ्रामक सूचना उपलब्ध कराई गयी जिसका भविष्य की योजनाओं पर विपरीत असर पड़ सकता था।

इस प्रकार रखरखाव के अभाव में ₹ 9.00 लाख के व्यय से निर्मित मैदानों के निष्क्रिय/ निष्फल होने एवं मुख्यालय को गलत सूचना देने का प्रकरण संज्ञान में लाया जाता है।

भाग-III

विगत निरीक्षण प्रतिवेदनों के अनिस्तारित प्रस्तरों का विवरण:-

प्रतिवेदन संख्या	वर्ष	भाग-II 'अ' प्रस्तर संख्या	भाग-II 'ब' प्रस्तर संख्या
कार्यालय पत्रावली (AIR से संबंधित) खोजने में असमर्थ			

विगत निरीक्षण प्रतिवेदनों के अनिस्तारित प्रस्तरों की अनुपालन आख्याः-

निरीक्षण प्रतिवेदन संख्या	प्रस्तर संख्या लेखापरीक्षा प्रेक्षण	अनुपालन आख्या	लेखापरीक्षा दल की टिप्पणी	अभ्युक्ति
अनुपालन आख्या सीधे कार्यालय महालेखाकार (लेखापरीक्षा) को प्रेषित की जायेगी।				

भाग-IV

इकाई के सर्वोत्तम कार्य

..... शून्य .....

भाग-V

आभार

1). कार्यालय महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखण्ड, देहरादून, लेखापरीक्षा अवधि में अवस्थापना संबंधी सहयोग सहित मांगे गये अभिलेख एवं सूचनांए उपलब्ध कराने हेतु **कार्यालय जिला युवा कल्याण एवं प्रान्तीय रक्षक दल अधिकारी, बागेश्वर** तथा उनके अधिकारियों एवं कर्मचारियों का आभार व्यक्त करता है तथापि लेखापरीक्षा में निम्नलिखित अभिलेख प्रस्तुत नहीं किये गयेः-

अप्रस्तुत अभिलेख: (i) विगत लेखापरीक्षा प्रतिवेदन की प्रति
(ii) मार्च 2016 में भुगतानित रु. 6.00 लाख का वाउचर
(iii) श्रीमती माया पाण्डे की सा.भ.नि. पुस्तिका

2). सतत् अनियमितताएः (i) माह अक्टूबर 2015 से अक्टूबर 2017 तक
(ii) BM-5 सत्यापित का निदेशालय नहीं भेजे गये।

3). लेखापरीक्षा अवधि में निम्नलिखित अधिकारियों द्वारा कार्यालयध्यक्ष का कार्यभार वहन किया गया :

क्र.सं.	विभागाध्यक्ष का नाम	पदनाम	अवधि
1.	श्री शान्ति प्रकाश आर्या	प्र.जि.यु.क. एवं प्रा.र.दल. अधि.	07.01.2009 से 31.08.2017 तक
2.	श्रीमती हेमा परिहार	प्र.जि.यु.क. एवं प्रा.र.दल. अधि.	01.09.2017 से वर्तमान तक

लघु एवं प्रक्रियात्मक अनियमितताएं जिनका समाधान लेखापरीक्षा स्थल पर नहीं हो सका उन्हें नमूना लेखापरीक्षा टिप्पणी में सम्मिलित कर एक प्रति **कार्यालय जिला युवा कल्याण एवं प्रान्तीय रक्षक दल अधिकारी, बागेश्वर** को इस आशय से प्रेषित कर दी जायेगी कि अनुपालन आख्या पत्र प्राप्ति के एक माह के अन्दर सीधे वरिष्ठ उप महालेखाकार (सामाजिक क्षेत्र) को प्रेषित कर दी जाये।

वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी/सामाजिक क्षेत्र